भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 244
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत की भूमिका

†*244. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ स्थानीय शासन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कई सरकारी विद्यालय, शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त कमरों, स्वच्छता के खराब स्तर, बिजली की अनियमित आपूर्ति, पीने के पानी की किल्लत और बुनियादी ढांचे के अभाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या डिजिटल शिक्षण सुविधाओं, कक्षाओं के लिए स्मार्ट क्लास रूमों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, परिवहन और छात्रावासों के अभाव के कारण छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, जिससे विशेष रूप से लड़कियाँ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र प्रभावित हो रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता और छात्र सहायता सेवाओं में सुधार करने हेतु ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

ग्राम पंचायत की भूमिका के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख)**:** इस प्रश्न का विषय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) में प्रविष्टि संख्या 5 के अनुसार पंचायतें स्थानीय सरकार होने के नाते राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अतः पंचायतों से संबंधित सभी विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विद्यालयी अधोसंरचना तथा उसकी गुणवत्ता से संबंधित जानकारी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और जनसेवा का प्रभावी, दक्ष एवं पारदर्शी माध्यम बनाने तथा स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के उद्देश्य से मंत्रालय राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं। ये अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवश्यक अधोसंरचना के विकास और ग्रामीण नागरिकों को मूलभूत सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पंचायत राज संस्थाओं की शासन क्षमता विकसित करने में सहयोग करता है, ताकि वे सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर थीम आधारित दृष्टिकोण अपनाकर पूरा कर सकें। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, संस्थागत अधोसंरचना तथा मानव संसाधन के विकास हेतु भी सहयोग प्रदान किया जाता है। इसी संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद के सहयोग से विशेष मॉड्यूल विकसित किए हैं, जैसे पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व का सृजन।

****